①

महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक : 143 / प्र.स. / वा.कर / 2012 रायपुर, दिनांक : 18 / 09 / 2012

प्रति,

आयुक्त,
वाणिज्यिक कर
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– छत्तीसगढ़ लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन के संबंध में।

उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा विभिन्न सेवाओं को अधिसूचित किया गया है, जिनमें व्यवसायियों को पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीकृत व्यवसायियों को जारी किए जाने वाले घोषणा पत्र के लिए समय–सीमा निर्धारित है, लेकिन कतिपय वृत्त प्रभारियों द्वारा निर्धारित समय–सीमा व्यतित होने के पश्चात् भी घोषणा पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं, जो कि अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन है।

2. व्यवसायियों को जारी किए जाने वाले पंजीयन प्रमाण पत्र तथा फार्म की अद्यतन जानकारी विभागीय वेबसाईट में "ऑन लाईन फॉर्म रिपोर्ट" के रूप में उपलब्ध है। सभी संभागीय उपायुक्त का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन वेबसाईट खोलकर अद्यतन स्थिति देखें एवं लंबित प्रकरणों की समय–सीमा में निराकरण के लिए वृत्त प्रभारियों को निर्देशित करें। इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अधिनियम के तहत निर्धारित समय–सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं करने की स्थिति में जुर्माना अधिरोपित करने का प्रावधान है।

3. अतः सभी संबंधितों को इस संबंध में निर्देश प्रसारित किए जाएं।

(डी.एस. मिश्र)
प्रमुख सचिव
वाणिज्यिक कर विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक : / प्र.स. / वा.कर / 2012 रायपुर, दिनांक : 18 / 09 / 2012

प्रतिलिपि :–

संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (समस्त), छत्तीसगढ़ की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
वाणिज्यिक कर विभाग